

कमांक/मा.चि./2018/

प्रतिलिपि :-

4868
31/12/18

/धरमजयगढ़, दिनांक -

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. वन मण्डलाधिकारी कोरबा /रायगढ़ वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित। आप आवेदक संस्थान से निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

☎ 07766-266599(निवास) 07766-266739(कार्या.) ☎ (फैक्स) 07766-266740 ✉ E.Mail ID-dfo_dharamjaigarh@rediff.com

क्रमांक/मा.चि./2018/
प्रति,

4865

/धरमजयगढ़, दिनांक - 31/12/18

उप प्रबंधक,

गोवा तमनार ट्रोशमिशन प्रोजेक्ट लिमि.

पं. रविशंकर शुक्ल नगर कोरबा (छ.ग.)

विषय :- Diversion for Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act.1980 Proposed for construction of 765 kv D/c Dharamjaigarh- Raigarh (Tamnar) Pool Transmission line under three forest Division of Chhattisgarh State for "Additional System for Power Evacuation from Generation Projects Pooled at Raigarh (Tamnar) Pool" area 137.014 ha- regarding.

संदर्भ :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/ एल.एम. - 479- 173/3217 दिनांक 28.09.2018
2. आपका पत्र क्रमांक/GTTPL/Forest/2018-19/ 30 दिनांक 01.10.2018
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./3881 दिनांक 04.10.2018 क्रमांक/मा.चि./4212 दिनांक 27.10.2018, क्रमांक/मा.चि./4580 दिनांक 04.12.2018 एवं क्रमांक/मा.चि./ 1392 दिनांक 21.12.2018

—O—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि आपके संस्थान 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़-रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य के लिए पंजीयन क्रमांक- FP/CG/TRNS/35105/2018 आबंटित किया गया है। तथा प्रस्ताव निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार तैयार कर प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है।

अतः आप प्रकरण में धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के नीचे प्रभावित हो रहे वन एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 58.694 हे. में गैर वानिकी कार्य हेतु निर्धारित 44 बिन्दुओं के चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है किन्तु आपके द्वारा प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। विरिष्ट कार्यालय का निर्देश है कि वेब पोर्टल पर दर्शित आवेदन का 05 दिवस के अंदर निराकरण अनिवार्य रूप से किया जावे। आपके द्वारा प्रस्ताव जमा किये बिना ऑन लाईन प्रकरण वनमण्डल धरमजयगढ़ की साईड पर वापस किया गया है। जिससे प्रकरण में कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

अतः आपको पुनः लेख किया जाता है कि आप सर्व प्रथम निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव तैयार कर वन मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें तत्पश्चात प्रकरण वेब पोर्टल पर वापस करें ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किया जा सके।

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल